# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## प्रेस नोट संख्याः 134, दिनांक 05-05-2024

### गल्फ कन्ट्रियों में प्रतिबन्धित मीट की सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य एवं जनपद जालौन से रुपये 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 जुबैर गिरफ्तार।

दिनांकः 05-05-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को गल्फ कन्ट्रियों में प्रतिबन्धित मीट की सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य व थाना एट, जनपद जालौन में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/5/8 गोवध अधि0 में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 जुबैर कुरैशी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>-**

1- मो0 जुबैर कुरैशी पुत्र मो0 लईक निवासी मकान नं0-1, गली नं0-9, बृजपुरी एक्सटेंशन, परवाना रोड, थाना जगतपुरी ईस्ट, नई दिल्ली।

**<u>बरामदगी</u>:-**

1- रू0 5250/- नगद।
2- 01 अदद पैन कार्ड।
3- 01 अदद वोटर आईडी कार्ड
4- 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स

**<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः</u>-**

दिनांक 05-05-2024 को समय लगभग 11.30 बजे सुबह। होटल युरेसिया पैलेस, नगीना चौराहा, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन क्रम में थाना एट, जनपद जालौन में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/5/8 गोवध अधि0 में वांछित रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जनक राज शर्मा पुत्र देवीदत्त शर्मा नि0 निवासी मकान एम-69, धरमपुर नजफगढ़ नई दिल्ली को दिनांक 21-04-2024 को एवं रू0 50,000/- के पुरस्कार घोषित सरगना मो0 लईक को दिनांक 24-04-2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उक्त अभियोग में शेष वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रचलित थी।

दिनांक 05-05-2024 को उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार तिवारी, के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक कुमार पाण्डेय, मु0आ0 विमलेश कुमार, आरक्षी अमित सिंह एवं कमाण्डो मनोज कुमार की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद बिजनौर में भ्रमणशील थी। इस

दौरान ज्ञात हुआ कि अभियोग उपरोक्त में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 जुबैर कुरैशी दिल्ली से चलकर होटर युरेसिया पैलेस में रूका हुआ है और वह थोड़ी देर रूक कर कहीं जाने वाला है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर थाना एट, जनपद जालौन से वांछित अभियुक्त मो0 जुबैर कुरैशी को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त मो0 जुबैर कुरैशी ने बताया कि दिनांक 20—12—2023 को टाटा कन्टेनर नं0 डीएल—1, जीसी 4302 में अरविया इण्टर प्राइजेस नई दिल्ली से सी—फूड/फिश फूड के नाम की बिल्टी बनवाकर उसमें मीट लोड कराकर चेन्नई भेजा जा रहा था। जबकि उक्त माल अरीबा इन्टरप्राइजेज के चालान फार्म पर जगदीश कोल्ड स्टोरेज रामपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया श्री नगर नई दिल्ली से लोड होकर शामेन लाजिस्टिक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ले जाना अंकित था। जिसके सम्बन्ध में थाना एट, जनपद जालौन में मु0अ0सं0 210/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/5/8 गोवध अधि0 पंजीकृत कराया गया था। उसने बताया कि जो माल जा रहा था उसमें मेरी फर्म जो अरीबा फूड के नाम थी, उसका जी0एस0टी0 का बिल लगा था। अभियोग पंजीकृत होने पर उसपर इनाम घोषित हो गया था, जिसके डर से वह लुक—छिप कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना एट, जनपद जालौन में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/5/8 गोवध अधि0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।